

न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर  
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी सं. : 17/2020 (2020/00043)

प्रार्थी

राजूराम पुत्र छोगाराम, जाति विश्नोई, निवासी – 564 मंगलनगर गुड़ा विश्नोईयान् पंचायत समिति लूणी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

**बनाम**

अप्रार्थीगण

1. परमवीर विश्नोई पुत्र मोहनलाल, जाति विश्नोई, निवासी – गुड़ा विश्नोईयान्, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।  
दूसरा पता – पट्टा संख्या 34, राजस्व ग्राम बासनी बाघेला, खसरा नं0 52, ग्राम पंचायत गुड़ा विश्नोईयान्, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
2. ग्राम पंचायत गुड़ा विश्नोईयान्, तहसील लूणी, जिला जोधपुर जरिये तत्कालीन/वर्तमान सरपंच।
3. उप पंजीयक कार्यालय तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 सपठित नियम 145, 148, 149, 150, 151, 152, 157(1) (क) (ख), 158 के तहत जारी पट्टा संख्या 34 खसरा संख्या 52 ग्राम बासनी बाघेला, ग्राम पंचायत गुड़ा विश्नोईयान्, पंचायत समिति लूणी द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 को जारी पट्टे को निरस्त करने बाबत्।

— — —

उपस्थिति :-

1. अधिवक्ता श्री प्रवीण दवे (प्रार्थी)।
2. अधिवक्ता श्री किसनाराम विश्नोई (अप्रार्थी संख्या 1)।

—आदेश —

दिनांक : 17.03.2021

संक्षिप्त में पुनरीक्षण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत गुड़ा विश्नोईयान् द्वारा जारी वर्ष 2018-19 में नियम 157 (1) (क) (ख), 158 के तहत पुराने गृहों के विनियमितिकरण तथा भूमियों का कमजोर वर्गों को आवंटन नियम के तहत अप्रार्थी संख्या 01 को पट्टा संख्या 34 मिसल संख्या 49/2018-19 दिनांक 25.02.2019 को जारी किया गया। उक्त पट्टा विलेख से व्यथित होकर यह निगरानी प्रार्थना-पत्र 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत पेश हुई।



पुनरीक्षण प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये तथा ग्राम पंचायत गुडा विश्नोईयान् से मूल अभिलेख तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री किसनाराम विश्नोई ने वकालतनामा पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय से मूल रिकॉर्ड प्राप्त होने पर अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से लिखित बहस पेश हुई तथा उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस दिनांक 01.03.2021 को सुनी जाकर पत्रावली आदेश हेतु रखी गई।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बतलाया कि ग्राम पंचायत गुडा विश्नोईयान् द्वारा उक्त पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 नियम 157 (1) के तहत जारी किया गया है। नियम 157 के अनुसार पुरानों गृहों का विनियमितकरण – जहां व्यक्तियों के कब्जे में आबादी भूमि में पुराने गृह हो और वे पंचायत से कोई पट्टा जारी करवाना चाहते हो तो वह निम्न अनुसार राशि जमा कराये जाने के पश्चात पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा। (क) 50 वर्ष से अधिक पूर्व से निर्मित मकानों हेतु 100 रुपये (ख) 50 वर्षों के दौरान बने पुराने मकानों हेतु 200 रुपये। 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यक्षीन रहते हुए 25 प्रतिशत संनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 का कोई निर्माण उक्त पट्टे वाली भूमि पर नहीं है और न ही था।

प्रार्थी अभिभाषक ने अपनी निरन्तर बहस में बतलाया कि अप्रार्थी संख्या 01 का खसरा संख्या 52 ग्राम बासनी बाघेला से कोई संबंध नहीं है। अप्रार्थी संख्या 01 का उक्त भूमि पर कोई झोपड़ी, झुपा या कच्चा निर्माण नहीं है और न ही उक्त पते का राशन कार्ड, बिजली व पानी के कनेक्शन है। ग्राम पंचायत द्वारा मात्र 200-200 रुपये में एक ही परिवार के सदस्यों को पट्टे जारी कर सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाया है। उक्त सभी पट्टे सरपंच के परिजनों को जारी किये गये। यदि सरपंच के परिजनों को पट्टे जारी किये जाते है तो सरपंच उस बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता मौजूदा प्रकरण में उक्त पट्टो को जारी करने की कमेटी बैठक की अध्यक्षता सरपंच ने की और पट्टो पर हस्ताक्षर भी सरपंच ने किये। इस वजह से उक्त सारे पट्टे अवैधानिक व अनियमित होने से निरस्त योग्य है।

प्रार्थी अभिभाषक ने अपनी बहस में बतलाया कि नियम 145 में पट्टा प्राप्त करने वाले को क्रय के लिये प्रस्तावित भूमि का सम्पूर्ण विवरण दर्ज कर भूमि का नक्शा सलंगन करना आवश्यक है यदि स्थल का नक्शा सलंगन नहीं है तो निर्धारित फीस के साथ पट्टाधारक को आवेदन करना होता है लेकिन उक्त पट्टो में ऐसी

कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। नियम 148, 149, 150, 151, 152 से परे जाकर उक्त पट्टा जारी किया गया है। अतः पट्टा विलेख निरस्त किये जाने योग्य है।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 में पुनरीक्षण प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने की समय सीमा निर्धारित नहीं है। प्रार्थी को सर्वप्रथम दिनांक 19.05.2017 को पट्टो में हुई अनियमितताओं का पता चला। तत्पश्चात् विकास अधिकारी को दिनांक 03.12.2019, 06.12.2019 एवं स्मरण-पत्र दिनांक 06.01.2020 को स्वयं उपस्थित होकर पत्र प्रस्तुत किये तथा दिनांक 15.01.2020 को मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जोधपुर को भी शिकायत प्रस्तुत की गई, बावजूद आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अतः प्रार्थना-पत्र अन्दर म्याद प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना-पत्र को पेश करने में हुई देरी में छूट प्रदान करावें।

अप्रार्थी संख्या 01 के अभिभाषक ने अपनी लिखित बहस प्रस्तुत कर बतलाया कि निगरानीकर्ता एक ब्लेकमेलर है जो अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता बताकर अधिकारियों व कर्मचारियों से सूचना के अधिकार का दुरुपयोग कर सरकारी दस्तावेज बिना अधिकार के प्राप्त कर अधिकारियों को ब्लेकमेल करता रहता है इसी क्रम में तथा कारण से यह निगरानी पेश की गई जिसको पेश करने का निगरानीकर्ता को कोई अधिकार नहीं था। अप्रार्थी को पुराने भवनों हेतु 300 वर्गगज से कम वर्गगज का पट्टा विलेख जारी किया गया है जो नियम 157 के तहत दिया गया है जिस स्थान पर पट्टा विलेख जारी किया गया है वहां पर सेटलमेंट से पूर्व से कब्जा तथा निवास कर रहे थे तथा अप्रार्थीगण की ढाणीया व होदिया बनी हुई थी बाद में अप्रार्थीगण द्वारा अपने अपने खेतों में ढाणियों का निर्माण करवा लिया पानी व पशुओं के चारे की उपलब्धता के अनुसार कभी गांव में व कभी खेतों में रहते आ रहे हैं आज भी अप्रार्थीगण के मौके पर मकान व टांके बने हैं। इस कारण से ही अप्रार्थी के पक्ष में पट्टे जारी किये गये हैं। वक्त सेटलमेंट केवल एक दादा का ही मकान था लेकिन अब 60 वर्ष बाद दादा के बेटे व पड़पोते के अनुसार विभाजन होने के कारण सारे ही अलग अलग रहने लगे व अलग अलग पट्टे नियमानुसार जारी किये गये हैं।

अप्रार्थी संख्या 01 के अभिभाषक ने अपनी निरन्तर बहस में बतलाया कि ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार कमेटी का निर्माण कर मौका देखा गया है तथा कमेटी के निर्णयानुसार ही पट्टा जारी किया गया है। नियमानुसार अप्रार्थी द्वारा दिनांक 21.12.2018 को प्रार्थना पत्र पेश किया गया फलस्वरूप सभी नियमों की पालना कर

25.2.2019 को पट्टा जारी किया गया है नियमानुसार पुराने कब्जे हेतु शपथ-पत्र व गवाह पेश किये गये। इस कारण से यह नहीं कहा जा सकता है कि पट्टे नियम विरुद्ध दिये गये हैं। धारा 97 के अनुसार केवल प्रभावित पक्षकार 90 दिन के भीतर भीतर निगरानी पेश कर सकता है किन्तु प्रार्थी ने 90 दिनों के बाद यानि म्याद बाहर निगरानी पेश की गई है इस कारण प्रार्थी की निगरानी म्याद बाहर होने के कारण खारिज करने लायक है।

अप्रार्थी संख्या 01 के अभिभाषक ने अपनी बहस में बतलाया कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 धारा 97 (1) में यह मेंडटरी है कि राज्य सरकार अथवा हितबद्ध व्यक्ति द्वारा ही आवेदन किया जा सकता है प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में यह नहीं बताया है कि प्रार्थी हितबद्ध या प्रभावित पक्षकार है। प्रार्थी न तो जनप्रतिनिधि है और ना ही प्रभावित पक्षकार है केवल अप्रार्थी को परेशान करने की नियत से निगरानी पेश की गई है चूंकि प्रार्थी प्रभावित पक्षकार नहीं है इस कारण प्रार्थी को निगरानी पेश करने की कोई लोकस स्टनडाई नहीं है इस कारण भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज करने योग्य है।

अप्रार्थी अभिभाषक ने अपनी निरन्तर बहस में बतलाया कि अप्रार्थी संख्या 01 ने नियमानुसार पट्टा विलेख का रजिस्ट्रेशन करवाया चूंकि पट्टे का रजिस्ट्रेशन करवा लिया गया इस कारण से रजिस्टर्ड दस्तावेज को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार केवल सिविल न्यायालय को प्राप्त है जिला कलेक्टर को केवल प्रस्ताव दिनांक 21-2-2019 को ही निरस्त करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है इस कारण से प्रार्थी ने जानबूझकर श्रीमान् के समक्ष बिना क्षेत्राधिकार के निगरानी पेश की है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में यह स्वीकार किया है कि पट्टे हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने से पूर्व प्रार्थी ने दिनांक 19-5-2017 को कार्यकारी अधिकारी के समक्ष निरीक्षण का प्रार्थना पत्र पेश कर दिया था तथा लगातार दिनांक 3-12-2019, 6-12-2019, 15-1-20 की शिकायते पेश करता रहा है जो सभी कार्यकारी अधिकारी के समक्ष विचाराधीन है इस कारण से भी प्रार्थी की निगरानी मेन्टेनेबल नहीं होने के कारण खारिज करने योग्य है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थी अधिवक्ता ने पुनः अपनी बहस में बतलाया कि रजिस्टर्ड विक्रय विलेख की सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को है। इसके समर्थन में न्यायिक

निर्णय आरजेटी 2017(3) पेज 1995 राजस्थान हाईकोर्ट का जजमेन्ट घेवरचन्द व अन्य बनाम स्टेट प्रस्तुत की।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल रिकॉर्ड का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अप्रार्थी संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक का मुख्य कथन रहा कि निगरानी कालबाधित पट्टे को चुनौती दी गई है चूंकि राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 61 के तहत पंचायत के किसी आदेश के विरुद्ध 30 दिवस के भीतर पंचायत समिति के समक्ष अपील पेश करने का प्रावधान है, परन्तु आलौच्य पट्टा 2019 में जारी किये जाने से अपील मियाद समाप्त हो चुकी है। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 97 में यह भी स्पष्ट किया गया कि “राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या किसी भी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर, किसी भी कार्यवाहियों के संबंध में, किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति या उपसमिति का अभिलेख उनमें पारित किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता औचित्य के बारे में या ऐसी कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिए मंगा सकेगी और उसकी परीक्षा कर सकेंगी और, यदि किसी मामले में, राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि ऐसे किसी भी विनिश्चय या आदेश को उपान्तरित या बातिल किया, उलट दिया या पुनर्विचारार्थ विप्रेषित किया जाना चाहिए तो वह तदनुसार आदेश कर सकेगी।” यद्यपि धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के तहत प्रस्तुत निगरानी मियाद से बाधित नहीं है। इस न्यायालय के समक्ष अन्य प्रकरणों की सुनवाई के दौरान माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की वृहद पीठ द्वारा संख्या 2000(2) पेज-01 एस.बी. सिविल रिट याचिका सं० 1688/83 निर्णय दिनांक 18.02.2000 प्रस्तुत हुआ जिसमें अभिनिर्धारित किया कि “Rajasthan Panchayat Rules 1972, R. 272-Exercise of Revisional power by Collector u/s 27-A of Act-Limitation- No period of limitation fixed by provision- Where statute omits to fix any period of limitation, court can not prescribe any period of limitation- In absence of period fixed by statute, power has to be exercised within reasonable time depending on facts of given case, though in cases, of fraud, misrepresentation, collusion, lack of jurisdiction, violation of statutory provisions and orders being void or against public interest, power can be exercised at any time- By not reading requirement of reasonable time in provision, same would become unconstitutional.”

इसी प्रकार आर.आर.डी. 2015 पेज-356 पर दिये गये न्याय निर्णय में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की वृहद पीठ ने कालबाधित प्रकरण में अभिनिर्धारित किया गया “ No time limit has been fixed for reference under section 82 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 and under section 232 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 in respect of the land held by a Hindu Idol (deity) and thus a reference can made within a reasonable time, which will depend upon the facts and circumstances

of the each case. Even if the fraud is alleged, the power must not be exercised after unreasonable period, such as, after several decades claiming rights over the land "

उपरोक्त न्याय निर्णयों में माननीय खण्डपीठ ने उचित समय सीमा में दायर करने के निर्देश दिये गये परन्तु उचित समय सीमा निर्धारित नहीं है तथा प्रस्तुत मामले के तथ्यों पर निर्भर रहते हुए युक्तियुक्त अवधि में किया जाना कहा परन्तु कपट, दुर्व्यपदेशन, दुःसन्धि, अधिकारिता के अभाव या कानूनी उपबन्धों के उल्लघन के मामलों में या आदेशों के शून्य या लोकनीति के प्रतिकूल होने की दशा में, शक्ति का प्रयोग किसी भी समय किया जा सकता है, बतलाया गया। अतः उक्त प्रस्तुत निगरानी भी उचित समय सीमा में मानते हुए निस्तारण किया जाना निश्चित करते हैं। पंचायत निगरानी का गुणावगुण निर्णय इस प्रकार किया जा रहा है कि यह तथ्य निर्विवादित है कि उक्त पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 नियम 157 (1) के तहत जारी किया गया है। नियम 157 के अनुसार पुरानों गृहों का विनियमितिकरण – जहां व्यक्तियों के कब्जे में आबादी भूमि में पुराने गृह हो और वे पंचायत से कोई पट्टा जारी करवाना चाहते हो तो वह निम्न अनुसार राशि जमा कराये जाने के पश्चात पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा। (क) 50 वर्ष से अधिक पूर्व से निर्मित मकानों हेतु 100 रूपये (ख) 50 वर्षों का दौरान बने पुराने मकानों हेतु 200 रूपये। प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया जिससे यह साबित हो सके की वह पीढियों से उक्त भूखण्ड पर 50 वर्षों से निवास कर रहे हैं। ग्राम पंचायत की संधारित मिसल में कार्यवाही विवरण दिनांक 21.02.2019 में उल्लेख है कि प्रार्थी की पैतृक समय पुराना कच्चा ईंटों का केलू वाला मकान बना हुआ था, परन्तु अतिवृष्टि के कारण वर्षों पहले गिर गया जो आज वर्तमान में प्लॉट का रूप धारण किया हुआ है, जो खाली पड़ा है। अतः ग्राम पंचायत ने स्वयं माना है कि जिसे भूमि का पट्टा जारी किया जा रहा है वहां कोई किसी प्रकार का निर्माण नहीं है। पत्रावली में सलंगन अप्रार्थी संख्या 1 के राशन कार्ड व अधीनस्थ न्यायालय के रिकॉर्ड को देखने से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत गुड़ा विश्नोईयान् द्वारा एक ही परिवार के सदस्यों को पट्टे जारी किये गये हैं। ऐसी स्थिति में तथाकथित पट्टे का नियमानुसार जारी करना संदेहात्मक है। अप्रार्थी संख्या 01 के अभिभाषक ने अपनी बहस में बतलाया कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे का रजिस्ट्रेशन करवा लिया गया है इस कारण रजिस्टर्ड पट्टे को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार केवल सिविल न्यायालय को है इसके विरोध में प्रार्थी

अभिभाषक द्वारा न्यायिक निर्णय आरजेटी 2017(3) पेज 1995 राजस्थान हाईकोर्ट का जजमेन्ट घेवरचन्द व अन्य बनाम स्टेट प्रस्तुत किया गया जिसमें अभिनिर्धारित है कि जब कोई पट्टा गैरकानूनी रूप से जारी किया गया हो, तो 1994 के अधिनियम की धारा 97 के तहत पट्टे की वैधानिकता की जांच करने का अधिकार है, भले ही पट्टा रजिस्टर्ड किया जा चुका हो। अतः उपरोक्त न्यायिक निर्णय के अनुसार रजिस्टर्ड पट्टे की वैधानिकता की जांच करने का अधिकार इस न्यायालय को है। प्रार्थी अभिभाषक ने अपनी बहस में बतलाया कि सरपंच द्वारा अपने परिजन को पट्टा जारी किया गया, उक्त पट्टे को जारी करने हेतु आयोजित बैठक सरपंच की अध्यक्षता में हुई है जो विधिविरुद्ध है इसका खण्डन अप्रार्थी संख्या 01 के अभिभाषक द्वारा नहीं किया गया। पंचायती राज नियमों के तहत सरपंच स्वयं अपने लाभ के लिए निर्णय पारित नहीं कर सकता है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टे को निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

### आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर अप्रार्थी संख्या 01 परमवीर पुत्र मोहनलाल जाति विश्नोई को ग्राम पंचायत गुड़ा विश्नोईयान् द्वारा जारी पट्टा संख्या 34 मिसल संख्या 49/2018-19 दिनांक 25.02.2019 को एतद् निरस्त किया जाता है। निर्णय पत्रावली के सलंग्न हो। निर्णय प्रति ग्राम पंचायत गुड़ा विश्नोईयान् को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

मदनलाल नेहरा  
अपर जिला कलक्टर(प्रथम)  
जोधपुर

निर्णय दिनांक 17.03.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

मदनलाल नेहरा  
अपर जिला कलक्टर(प्रथम)  
जोधपुर